न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 259/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
महेश गहलोत पुत्र अणदाराम जाति माली निवासी मंदिर वाला बेरा, माताजी का थान, पुंजला तहसील व जिला जोधपुर		1– श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी खेमसिह 2– अणदाराम पुत्र मांगीलाल 3– श्रवणराम पुत्र मांगीलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती संतोष पत्नी अणदाराम जाति माली सभी निवासीगण मंदिर वाला बेरा, माता का थान, पुंदला तहसील व जिला जोधपुर 4– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 4–8–2015 जो राजस्व अपील संख्या 64/2012 अनवान महेश गहलोत बनाम श्रीमती सज्जनकंवर वगैरा मे अपर जिला कलेक्टर, प्रथम जोधपुर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री हरि सिह कच्छवाहा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 27–11–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पूंदला तहसील जोधपुर के खसरा नांबर 335 रकबा 13.19 बीघा भूमि के सहखातेदार अणदाराम पुत्र मांगीलाल जाति माली सा0 देह था । उक्त अणदाराम ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का पंजीबद्ध बेचान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे कर देने पर खातेदार अणदाराम के स्थान पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 सज्जनकंवर पत्नी खेमसिह जाति माली निवासी पूंदला का नाम नामांतरकरण संख्या 2286 मे दर्ज करते हुए उक्त नामांतरकरण तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 29–5–2008 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामातरकरण संख्या 2286 के विरूद्ध वर्तमान अपील के अपीलांट महेश गहलोत ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील यह कथन करते हुए पेश की कि

अपीलाधीन भूमि उसके पुश्तैनी भूमि होने से उक्त भूमि मे उसका जन्म से ही हिस्सा होते हुए अपीलाधीन सम्पूर्ण हिस्से का किया गया बेचान विधिविरूद्ध है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त खातेदारी मे अपना हक हिस्से की भूमि मे खातेदार घोषणा करवाने बाबत एक वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है इसलिए वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 अणदाराम को अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान करने का अधिकार ही नही था इसलिए बेचान के आधार पर स्वीकृत उक्त नामांतरकरण संख्या 2286 को निरस्त करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलांट की प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–8–2015 के द्वारा खारीज कर दी जाने पर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अपीलांट तथा रेस्पो0 संख्या 2 अणदाराम पुत्र मांगीलाल ने कभी कोई आम मुख्त्यारनामा निष्पादित नही किया गया था परंतु रेस्पो0 संख्या 1 ने कूटरचित तरीके से अपीलांट की कृषि भूमि को हडप करने की नियत से कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर उसके आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करवा दिया जबकि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पो0 संख्या 1 का कभी अपीलाधीन भूमि पर कब्जा नही रहा परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से स्थगन आदेश पारित किया हुआ होते हुए भी अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा रेस्पो0 द्वारा बताये गये कथनो को सही मानकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पुश्तैनी की खातेदारी की थी इसलिए उक्त भूमि मे अपीलांट का जन्म से अधिकार सृजित हो

गये थे इसलिए अपीलाधीन सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने का अधिकार रेस्पो0 संख्या 2 को नहीं था इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 अकेले को अपीलाधीन भूमि के बेचान करने का अधिकार नही होते हुए उसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का किया गया बेचान विधिविरूद्ध था तथा बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण भी निरस्त योग्य होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–8–2015 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2286 दिनांक 29–5–2008 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के बेचान करने तथा बेचान के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि मे अपने हक हिस्से के लिए एक वाद सहायक कलेक्टर बिलाडा केम्प जोधपुर मे दिनांक 8–6–2008 को पेश किया जो दिनांक 24–5–2008 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारीज हो गया जो अब तक रेस्टोर नही करवाया है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे मे रेस्पो0 संख्या 1 को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलाधीन भूमि मे रेस्पो0 संख्या 1 के हित निहित हो चुके थे इसलिए उक्त वाद मे रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर उक्त दावे मे पक्षकार बने थे ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार अणदाराम जो आज भी जिवित है तथा उसके द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 2286 के संबंध मे कोई आपत्ति नही की जबकि उसके पुत्र महेश अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि मे हक अधिकार होना मानकर प्रस्तुत की गई अपील पर पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट महेश ने मेरे पक्ष मे किये गये बेचान को निरस्त करवाने बाबत एक दावा भी पेश कर रखा है, जो अभी लंबित है इसलिए जब तक रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे किये गये पंजीबद्ध बेचान का दस्तावेज निरस्त नही हो जाता है तब तक उसके आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 2286 को निरस्त नही किया जा सकता है इसलिएं उक्त नामांतरकरण संख्या 2286 के विरूद्ध

अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–8–2015 तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 2286 दिनांक 29–5–2008 का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 2286 जो कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर भरा जाकर रेस्पो0संख्या 1 के पक्ष मे तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलाधीन भूमि का बेचान रेकर्डेड खातेदार वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 अणदाराम द्वारा किया गया है तथा अणदाराम आज भी जीवित है परंतु उसके द्वारा बेचान के बारे मे कोई आपत्ति प्रकट नही की है जबकि अपीलांट महेश पुत्र अणदाराम ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष के हुए पंजीबद्ध बेचान को निरस्त करवाने बाबत एक वाद सक्षम न्यायालय मे पेश करना बताया है, तो उक्त वाद के निर्णय के पश्चात अपीलांट यदि अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानता है तो वह अपने अधिकारो की घोषणा के लिए सक्षम न्यायलय मे दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–8–2015 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर